



2026:AHC:26183

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4613 सन् 2026

गुरु चरण

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : सुरेन्द्र मोहन मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् तहसीलदार न्यायिक, फरेंदा, महाराजगंज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत वाद संख्या 6864 सन् 2024, कंप्यूटर केस नंबर T20240547046864 (गुरुचरण बनाम अमरावती) को निर्धारित अवधि के भीतर करने का निर्देश देने के लिए की गई है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् तहसीलदार न्यायिक, फरेंदा, महाराजगंज को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले पर, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"